फर्द अहकाम

कैलाश बनाम सरकार

...7/2024

आज्ञा या ...र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
...7/24	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब की गई पत्रावली पेश [illegible] की जाकर प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पर सुना गया। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] विधि पूर्वक लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया रखा पत्रावली को बाद [illegible] से [illegible] हो बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:33:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या 177 / 2024
निर्णय दिनांक : 03.07.2024

1 कैलाश चौधरी पुत्र श्री कानाराम
2 मोहनलाल चौधरी पुत्र श्री कानाराम
3 राजेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र श्री कानाराम
4 धर्मवीर चौधरी पुत्र कैलाश चौधरी
समस्त जाति जाट निवासी 13 काना व्यापारी की ढाणी, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 321/40 रकबा 0.67 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 01/07/2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश कमांक/भू.अ./सीमाज्ञान/4115–4116 दिनांक 06/06/2024 की पालना मे बहमराह पटवारी हल्का कल्याणपुरा के साथ ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा के ख0न0 321/40 रकबा 0.67 है0 के मौके पर पहुंची मौके पर मौके पर उक्त खसरा नम्बर के सीमाज्ञान हेतु खसरा न० 40/250 गै० मु० वरह मुस्तकिल बिन्दू से ख० न0 321/40 की सीमा नापते हुए खसरा नम्बर 321/40 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर जरीब चलाकर सीमा बतायी गयी। तत्पश्चात उक्त मुस्तकिल बिन्दू से खसरा न0 321/40 की दक्षिणी सीमा का मिलान करते हुए खसरा नम्बर 321/40 के उत्तरी पूर्वी कोने की सीमा का ज्ञान करवाया गया। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 321/40 रकबा 0.67 है० का सीमाज्ञान करवाया गया। फर्द मौका सीमाज्ञान पढा सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी काश्तकारो आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करते है इस कारण प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे वो अपनी आराजीयात के चारो तरफ तार बाउण्डरी कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य मे सीमाज्ञान के लिए पड़ौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:33:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय सबूत पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा न0 321/40 रकबा 0.67 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी को फरमाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा न0 321/40 रकबा 0.67 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी को फरमाने की कृपा करे।

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा न0 321/40 रकबा 0.67 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर का प्रार्थीगण की भूमि के पाडौसी खातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.07.2020 के अनुसार पत्थरगढी की जावें। दौराने पत्थरगढी कानून व्यवस्था को ध्यान रखा जावे एवं आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की सहायता ली जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:33:39 IST
Reason: SelfAttested